न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड
उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)

UPHP010051302022

Sessions Case/1449/2022
सत्र परीक्षण संख्या 1449/2022
मु0अ0सं0 279/2022
सरकार बनाम सुधीर आदि
अ0धारा 323/34,452,504,506 भा0दं0सं0
व 3(2)(va)एस0सी0एस0टी0एक्ट,
थाना : सिम्भावली
जिला : हापुड़

22.06.2023 **आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)**

पुकार कराई गई। पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण सुधीर कुमार भाटी व सोनू उर्फ वीरेन्द्र सिंह जेरे जमानत उपस्थित। विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा उन्हे अभियोजन कथानक सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323/34,452,504,506 भा0दं0सं0 व 3(2)(va) एस0सी0एस0टी0 एक्ट के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओ के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियोजन साक्ष्य पत्रावली दि0 10.07.2023 को पेश हो । अभियोजन साक्षीगण तलब हो ।

(उमाकान्त जिन्दल)
दि0 22.06.2023 अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

Digitally signed by Umakant jindal
Date: 2023.06.23 15:32:51 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court Hapur

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड
उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)

UPHP010051302022

Sessions Case/1449/2022
सत्र परीक्षण संख्या 1449/2022
मु0अ0सं0 279/2022
सरकार बनाम सुधीर आदि
अ0धारा 323/34,452,504,506 भा0दं0सं0
व 3(2)(va)एस0सी0एस0टी0एक्ट,
थाना : सिम्भावली
जिला : हापुड़ ।

आरोप

मैं, उमाकान्त जिन्दल ,अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस0सी0 एस0टी0एक्ट,हापुड, एतदद्वारा आप अभियुक्तगण सुधीर कुमार भाटी व सोनू उर्फ वीरेन्द्र सिंह पर यह आरोप लगाता हूँ कि :

प्रथमत ::– यह कि दिनांक 14.07.2022 को समय सुबह करीब 8.30 बजे ग्राम देवली बहद थाना सिम्भावली जिला हापुड स्थित वादी के मकान में उपहति करने की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार किया और उसके द्वारा आपने ऐसा कार्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 452 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका संज्ञान लेने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

द्वितीयत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने एक राय होकर सामान्य आशय से वादी के साथ लात, घूंसे से मारपीट कर उपहति कारित की। इसके द्वारा आपने एक ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 323/34 के अधीन एक दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

तृतीयत::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी को बुरी – बुरी गालियां देकर उसे लोकशान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमानित किया । इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 504 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

चतुर्थतः यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास किया। इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 506 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

पंचमत ::– यह कि उपरोक्त दिनांक ,समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी , जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, को मारपीट कर सामान्य उपहति कारित की, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग व गाली गलौच कर अपमानित किया तथा जान से मारने की धमकी दी, इस प्रकार आपने ऐसा कार्य कारित किया जो धारा 3(2)(va) एस0सी0एस0टी0एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूॅ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

दि0 22.06.2023

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्तगण ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

दि0 22.06.2023